भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1396
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 9 फरवरी, 2026
20 माघ, 1947 (शक)

संरक्षित स्मारकों एवं विरासत स्थलों का संरक्षण

1396. **डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः**
सुश्री सयानी घोषः
श्री कीर्ति आज़ादः
श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा देशभर में महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संरक्षित स्मारकों और विरासत स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण, सुरक्षा, पुनर्स्थापन तथा रखरखाव का कार्य संबंधित राजवंश पर विचार किये बिना किया जाता है;
(ख) यदि हाँ, तो देश में स्मारक/स्थल-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषरूप से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संरक्षण की वर्तमान स्थिति तथा स्वीकृत, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा और संख्या क्या है;
(ग) क्या इनमें से कुछ स्मारकों की स्थिति दयनीय हुई है;
(घ) पश्चिम बंगाल में विरासत संरक्षण को सुदृढ़ बनाने और स्मारकों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या निधियों की कमी, प्रशासनिक विलंब अथवा अन्य कारणों से सरकार द्वारा स्वीकृत कोई कार्य अपूर्ण या लंबित हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या पश्चिम बंगाल में एएसआई के संरक्षण कार्यों का कोई निरीक्षण, संपरीक्षा या आकलन किया गया है; और
(छ) क्या वर्तमान में कोई यूनेस्को नामांकन प्रस्ताव लंबित हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): महाराष्ट्र राज्य में 286 स्मारकों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और अनुरक्षण के अंतर्गत देश भर में कुल 3686 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण कार्य इनके संरक्षण की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(ख) से (घ): संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर के सभी संरक्षित स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं। इन स्मारकों के अनुरक्षण हेतु इन स्मारकों की आवश्यकता और अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम (एसीपी) के अनुसार इन्हें पर्याप्त निधियाँ आवंटित की जाती है। विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, आवंटित की गई निधियों एवं किए गए व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): निधियों की कमी अथवा प्रशासनिक विलंब के कारण कोई भी अनुमोदित कार्य अपूर्ण अथवा लंबित नहीं है।

(च): सभी संरक्षित स्मारकों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उनकी मौजूदा स्थिति और संरक्षण कार्यों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

(छ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1396 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए किए गए आवंटन और व्यय का ब्यौरा

(राशि करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	मंडल/ शाखा (स्मारकों की संख्या)	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (27.01.2026 तक)	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	13.00	12.96	19.35	19.35	21.27	21.15	23.52	23.52	15.90	15.90	17.00	13.36
		झांसी	1.00	1.00	4.15	4.15	7.00	7.00	5.82	5.82	6.10	6.10	9.50	7.65
		लखनऊ	3.88	3.88	10.44	10.44	19.03	19.03	16.93	16.93	8.91	8.91	7.95	7.41
		सारनाथ	4.38	4.38	5.50	5.50	10.15	10.15	11.32	11.32	7.62	7.62	9.75	6.89
		मेरठ	0.00	0.00	2.80	2.80	6.20	6.20	7.95	7.95	6.70	6.64	6.50	4.61
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	3.16	3.16	8.00	7.99	18.70	18.70	26.80	26.80	8.60	8.60	11.00	9.18
		मुंबई	11.00	11.00	12.00	12.00	15.35	15.35	15.56	15.56	18.19	18.19	17.50	13.12
		नागपुर	4.00	4.00	4.50	4.50	5.00	4.99	10.18	10.18	10.60	10.60	15.00	12.21
3.	कर्नाटक	बैंगलोर	5.27	5.27	9.75	9.75	19.85	19.85	17.34	17.34	8.55	8.55	12.00	8.96
		हम्पी	9.10	9.10	8.00	8.00	10.00	10.00	12.25	12.25	6.52	6.52	8.75	7.14
		धारवाड़	6.40	6.40	7.32	7.32	10.08	10.08	9.57	9.57	7.46	7.46	6.25	5.18
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	11.50	11.50	11.50	11.50	14.90	14.90	17.22	17.22	12.30	12.30	13.50	11.55
		जबलपुर	3.50	3.50	4.75	4.75	8.00	8.00	9.27	9.27	7.00	6.99	6.00	4.80
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर और पुरी	3.63	3.63	8.23	8.23	13.18	13.17	12.29	12.29	11.50	11.37	11	6.74
6.	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	6.03	6.02	7.67	7.57	10.16	10.16	9.10	9.10	6.01	6.01	4.75	3.92
7.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	रायगंज	1.35	1.35	5.00	5.00	7.00	7.00	8.00	8.00	6.10	6.10	8.00	7.11
8.	तमिलनाडु, पुडुचेरी	चेन्नई	5.25	5.25	8.00	8.00	11.45	11.45	12.95	12.95	13.15	13.14	13.00	9.50
		त्रिची	2.00	2.00	4.00	4.0	8.50	8.50	9.55	9.55	5.80	5.80	6.50	4.77
9.	पंजाब हरियाणा	चंडीगढ़	0.80	0.80	1.50	1.50	6.53	6.53	11.00	11.00	8.40	8.40	11.00	10.19
10	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.25	1.25	1.15	1.15	8.90	8.90	5.00	5.00	2.80	2.79	2.00	1.88
11	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	दिल्ली	20.82	20.82	19.10	19.08	30.50	30.35	36.14	36.14	24.95	24.94	39.92	33.99
		दिल्ली लघु मंडल	3.69	3.69	--	--	--	--	--	--				
12.	गोवा	गोवा	3.70	3.70	7.00	7.00	10.45	10.45	9.90	9.90	9.00	9.00	5.06	5.05
13.	असम मेघालय नागालैंड अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	3.04	3.04	3.30	3.30	7.44	7.44	8.78	8.78	5.72	5.71	4.66	3.35
14.	मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा	आइजोल	1.31	1.31	1.25	1.25	2.00	2.00	1.29	1.29	1.26	1.25	1.20	0.93
15.	राजस्थान	जयपुर	7.40	7.40	7.53	7.53	10.28	10.28	12.75	12.75	10.91	10.91	8.00	6.66
		जोधपुर	4.10	4.10	4.50	4.50	7.65	7.65	10.65	10.65	9.25	9.24	9.00	6.89
16.	तेलंगाना	हैदराबाद	2.80	2.80	7.00	6.80	15.50	15.50	14.38	14.38	6.80	6.77	12.00	9.58
17.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	4.57	4.57	5.75	5.75	11.60	11.60	14.70	14.70	12.90	12.90	14.00	11.64
18.	बिहार	पटना	1.23	1.23	3.35	3.35	9.00	9.00	16.00	16.00	8.73	8.73	14.50	11.77

19.	जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)	श्रीनगर	0.80	0.80	2.55	2.55	6.11	6.03	7.17	7.17	4.90	4.89	5.75	4.97
20.	लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)	लघु मंडल, लेह	0.20	0.20	0.43	0.43	1.92	1.92	3.50	3.50	2.20	2.20	4.50	3.71
21.	केरल	त्रिशूर	2.03	2.03	6.82	6.82	7.50	7.50	7.09	7.09	6.30	6.30	4.25	3.55
22.	गुजरात, दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	वडोदरा	6.35	6.35	8.00	8.00	11.00	11.00	12.00	12.00	7.70	7.69	10.50	7.58
	गुजरात	राजकोट	0.99	0.99	2.50	2.50	3.09	3.09	2.50	2.50	3.00	3.00	4.00	2.62
23.	उत्तराखंड	देहरादून	4.60	4.60	3.75	3.75	4.85	4.85	5.42	5.42	5.10	5.10	6.50	4.74
24.	छत्तीसगढ	रायपुर	2.89	2.89	4.78	4.78	7.50	7.50	5.94	5.94	8.19	8.19	12.25	9.21
25.	झारखंड	रांची	0.88	0.88	1.18	1.16	2.00	2.00	2.15	2.15	2.25	2.25	2.37	2.50

*****